न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः–63/2018 (2018/00063)225/मसूदा

1. रामपाल पुत्र लक्ष्मण
2. ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मण
3. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि जगदीश
4. महावीर पुत्र राम गोपाल
5. रमेश पुत्र राम गोपाल
6. सुरेश पुत्र राम गोपाल
7. सुरेन्द्र पुत्र राम गोपाल
8. श्रीमती सोहनी पत्नि राम गोपाल समस्त जाति ब्राहमण निवासी बड़ा आसन, तहसील विजयनगर जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मदन पुत्र पन्ना जाति माली निवासी ग्राम बड़ा आसन तहसील विजयनगर जिला अजमेर।
2. विनोद पुत्र राम दयाल
3. अंजना पुत्री राम दयाल
4. स्नेहलता पुत्री राम दयाल
5. श्रीमती चांदी पत्नि राम दयाल
6. गौरी शंकर पुत्र राधेश्याम
7. चन्द्र शेखर पुत्र राधेश्याम
8. संतोष पत्नि राधेश्याम
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बड़ा आसन तहसील विजयनगर जिला अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, विजयनगर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 09.3.2018, प्रकरण संख्या 29/2017 .

उपस्थितः–

1. श्री शौकिन्द लाल गुर्जर एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री उमेश कुमार एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 09 तलबी बंद।

निर्णय

दिनांकः–12.12.2018

01. अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 29/2017 में निर्णय दिनांक 09.3.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/ वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अप्रार्थीगण/ वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 16 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बड़ा आसन तहसील विजयनगर स्थित खसरा नम्बर 95 रकबा 03 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 528/96 रकबा 2

बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा नम्बर 97 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांसी तथा पद संख्या 1 ग में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 20–18–00 बीघा का प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट खातेदार काश्तकार चला आ रहा हैं व उपरोक्त भूमि का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त हैं। उपरोक्त आराजी के दक्षिण मे अप्रार्थी संख्या 9 से 16 की भूमि खसरा नम्बर 94 रकबा 00–09–00 स्थित चली आ रही है जिसके साबिक खसरा नम्बर 91 रकबा 0–10–0 था, उक्त भूमि को प्रार्थी व उसके परिवारजन सदैव से रास्ते के उपयोग में लेते चले आ रहे थे इसी कारण राजस्व जमाबंदी सम्वत 2014 से 2017 में किस्म रास्ता अंकित था किन्तु अप्रार्थी संख्या 09 से 16 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके बिना किसी न्यायिक आदेश के उक्त भूमि सरकारी थी जिसकी किस्म रास्ता थी उसमें संशोधन कर बंजर करवा दी गई, जबकी उक्त भूमि से प्रार्थी व उसके पूर्वज आवागमन का उपयोग करते चले आ रहे थे जिसके अप्रार्थी संख्या 09 से 16 के पूर्वज ने अपने नाम पूर्व में गैर खातेदारी व बाद में खातेदारी दर्ज करवा ली व वर्तमान में प्रार्थी का आवागमन बंद कर दिया व उसके आगे दक्षिण की तरफ भूमि खसरा नम्बन 92 रकबा 2–18–0 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 से 08 की खातेदारी की स्थित हैं व उसके आगे खसरा नम्बर 89 जो कि तरमीमशुदा रास्ता स्थित चला आ रहा है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी में आने जाने के लिए एवम् उसमें ट्रेक्टर, ट्रोली अन्य वाहन के आने जाने के लिए 30 फिट चौड़ा रास्ता की आवश्यकता है। खसरा नम्बर 94 व 91 की भूमि के पश्चिमी हिस्से की तरफ से 30 फिट चौड़ाई की भूमि रास्ते के लिए दिलवाया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.3.2018 को स्वीकार कर खसरा नम्बर 94 मे से (132X15) रकबा 00–02–05 बीघा रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 09.03.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 09 की प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने के बाद तलबी बंद की गई। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजी खसरा नम्बर 96,97, 528/96 के लिए वर्तमान अपीलांट/विपक्षी की आराजी खसरा नम्बर 94 में से रास्ता दिया जाना उचित व न्याय संगत है या नहीं बाबत् कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया। अपीलांट ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कोई सरोकार नहीं हैं, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपने खेत पर सींवजोड खसरा नम्बर 74 व 91 की सींव के सहारे–सहारे आता जाता रहा हैं व संसाधन लाता ले जाता रहा हैं, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बदनियती से न्यायालय को गुमराह करने की नियत से गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र अपीलांट की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से पेश किया हैं। उक्त खसरा नम्बर 94 अपीलांट के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर में कोई रास्ता न पूर्व में था व न आज दिनांक में है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व सींव जोंड खसरा नम्बर 74 के काश्तकार ने साजिश कर अपीलांट की भूमि को हड़प करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करने से पूर्व धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा अनुसार गिरदावर या तहसीलदार अधिकारी की मौके की वास्तविक रिपोर्ट के अभाव में एवं जॉच करने के प्रावधान नियम 69 की बिना पालना किये ही मात्र पटवारी की दोनो विरोधाभास अवैध रिपोर्ट को सही मानकर एक खातेदार को अपनी आराजी से वंचित कर दिया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का कोई सकरात्मक व विधि सम्मत कारण आक्षेपित आदेश में अंकित नहीं किया है एवं बहुत ही संक्षिप्त आदेश के द्वारा रूटिन प्रक्रिया के तहत न्यायिक विवके का प्रयोग किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया हैं किसी भी प्रकरण को इस प्रकार न्यायिक विवके का प्रयोग किये बिना एवं स्वीकार व अस्वीकार करने का युक्तिसंगत कारण अंकित किये बिना आदेश पारित करना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रक्रिया नहीं हैं, विचारण न्यायालय को चाहिए था कि वे प्रकरण को निस्तारित करते समय इस पर विस्तृत विवेचन करते हुए व स्पष्ट रूप से कारण अंकित करते हुए अपील का

निस्तारण करते इस सम्बन्ध में मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत 2016 आर.आर.टी.(2) पेज 1147 महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण के पत्रावली में मौजूद तथ्यों व साक्ष्य एवं परिस्थितियों पर विचार किये बिना ही आदेश पारित कर दिया है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का आदेश दिनांक 09.03.2018 को निरस्त किया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में 2017 डी.एन.जे.(रिवीजन)पेज 169, आर.बी.जे.(23)2016 पेज 539, आर.आर.टी. 2016(1)पेज 649, आर.आर.टी. 2014(1)पेज 40 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि अभिभाषक अपीलांट ने अपने बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पास वैकल्पिक रास्ता था फिर भी उसने अपीलांटस को परेशान व हैरान करने के कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो बिल्कुल गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करके उनसे जवाब प्राप्त करने एवं विवादित आराजी बाबत् मौका रिपोर्ट तलब की जाकर आदेश पारित किये हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही हैं। तहसीलदार, विजयनगर ने अपने मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया हैं खसरा नम्बर 96 में खातेदार के पास खसरा नम्बर 94 व 74 के अलावा कोई विकल्प रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी काश्तकारी खातेदारी में आने के लिए खसरा नम्बर 74 व 91 के बीच स्थित रास्ते से आता–जाता रहा है। इस प्रकार उन्होने प्रार्थी की खातेदारी में पहुॅचने के लिए खसरा नम्बर 94 को सही बताया है। उक्त तहसीलदार, विजयनगर की रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने आदेश पारित किये हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधान की दो शर्ते यथा–पारम्परिक सहमति से रास्ता दिया जावें तथा दूसरा सुविधानजक विकल्प दिया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के अनुसार ही आदेश पारित किये है। उक्त आदेश से भूमि का कम से कम का नुकसान हुआ तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर ही यह नये रास्ते बाबत् आदेश दिये हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमायी जावें।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का एवं प्रस्तुत नजीरो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कथन है कि वे अपने खेत खसरा नम्बर 95, 528/96, 97 को खातेदार काश्तकार हैं तथा आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 94 का उपयोग करता चला आ रहा हैं, जो जामबंदी सम्वत 2014 से 2017 में रास्ता अंकित था तथा बाद में उक्त खसरा नम्बर 94 पूर्व में अप्रार्थी संख्या 9 से 16 के पूर्वज के नाम गैर खातदोरी थी तथा बाद में खातेदारी दर्ज की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, विजयनगर की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ा आसन के नक्शों ट्रेस संम्वत 2027–2028 में खसरा नम्बर 89 के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण रास्ता तरमीम किया हुआ है जबकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खसरा नम्बरान तक आने जाने तक रास्ता तरमीम नही हैं और ना ही ऐसा कोई अन्य रास्ता तरमीम किया हुआ नहीं पाया गया हैं। इस प्रकार तहसीलदार, विजयनगर द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 27.02.2018 के अनुसार खसरा नम्बर 96 के खातेदार के पास खसरा नम्बर 94 व 74 के अलावा कोई विकल्प नहीं माना हैं। तथा तहसीलदार, विजयनगर की मौका रिपोर्ट पर अपीलांट (रामपाल) ने कोई उज्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष नहीं उठाये हैं जबकि नियम 69 के तहत अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही उज्र उठाने चाहिए थें। इस प्रकार मौका रिपोर्ट अनुसार मदन पुत्र पन्ना के पास कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है जो मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हैं तथा धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम की मंशा भी यही ही रास्ता आवश्यकता अनुसार हो व कम से कम भूमि का नुकसान हों। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थित अनुसार आवश्कता अनुसार व सुविधाजनक रास्ते की स्थापना की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत हैं जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पायी जाती हैं।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2018 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 12.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर